

बाल श्रम

Dr. Babita B. Shukla

Assistant Professor, Department of Economics
Shri M. D. Shah Mahila College, Malad (W), Mumbai

बाल श्रम का अर्थ

बाल श्रम का मतलब ऐसे कार्य से है जिसमें की कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो बच्चों से पैसों के बदले कोई व्यवसायिक काम कराना बाल श्रम है। भारत में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार की मजदूरी या व्यवसायी कार्य में लगाना बाल मजदूरी या बाल श्रम के अंतर्गत आता है। भारतीय कानून में बाल मजदूरी कराना कानूनी अपराध है। दुनिया भर में बाल श्रम के लिए अलग अलग उम्र सीमा तय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ 18 वर्ष से कम आयु के श्रमिकों को बाल श्रमिक मानता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (I.L.O) ने बाल श्रमिक 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को माना है। अमेरिका ने 12, इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों ने 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रमिक माना गया है। दुनिया भर में बाल श्रम ऐसी समाजिक समस्या बन चुकी है जो बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास को बाधित करती है। आज दुनिया भर में 215 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है। इन बच्चों का समय स्कूल में कॉपी-किताबों और दोस्तों के बीच नहीं बल्कि होटलों, घरों, उद्योगों में बर्तनों, झाड़ू पोंछे और औजारों के बीच बीतता है। भारत में यह स्थिति बहुत ही भयावह हो चली है। दुनिया में सबसे ज्यादा बाल मजदूर भारत में ही हैं। 1991 की जनगणना के हिसाब से बाल मजदूरों का आंकड़ा 11.3 मिलियन था। 2001 में यह आंकड़ा बढ़कर 12.7 मिलियन पहुंच गया।

बाल मजदूरी देश के लिए अभिशाप

कई सरकारें बाल मजदूरों की सही संख्या बताने से बचती हैं। ऐसे में वे जब विशेष स्कूल खोलने की सिफारिश करती हैं तो उनकी संख्या कम होती है, ताकि उनके द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों और कार्यकलापों की पोल न खुल जाए।

यह माना जाता है कि भारत में 14 साल के बच्चों की आबादी पूरी अमेरिकी आबादी से भी ज्यादा है। भारत में कल श्रम शक्ति का लगभग 3.6 फीसदी हिस्सा 14 साल से कम उम्र के बच्चों का है। हमारे देश में हर दस बच्चों में से 9 काम करते हैं। ये बच्चे लगभग 85 फीसदी पारंपरिक कृषि गतिविधियों में कार्यरत हैं।

बाल श्रम के कारण

बाल मजदूरी जैसी समस्या के लिए कई सामाजिक, राजनैतिक कारण उत्तरदायी हैं।

- **बच्चों का अनाथ होना**– जिन बच्चों के माता-पिता जीवित नहीं होते ऐसे बच्चे मजदूरी में बचपन से ही काम करने लगते हैं। यह बाल श्रम का प्रमुख कारण है। इसके साथ ही जिन बच्चों के माता-पिता शिक्षित नहीं हैं वह बच्चे भी बाल मजदूरी करने लगते हैं।
- **आर्थिक स्थिति**– ऐसे परिवारों के बच्चे सबसे अधिक बाल मजदूरी करते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, ऐसे में जीवन की गुजर बसर के लिए कम उम्र में ही बच्चों को कमाने के लिए भेज दिया जाता है।

- **जनसंख्या वृद्धि**-बालश्रम का मुख्य कारण जनसंख्या का लगातार बढ़ना है, बढ़ती जनसंख्या से गरीबी और अशिक्षा जैसी समस्याएं अपने पांव पसार रही हैं। इसी वजह से बाल श्रम भी बढ़ रहा है।
- **सस्ता श्रम और व्यापारियों का लालच**- बाल मजदूरी के लिए छोटे दुकानदार पैसे बचाने के लिए छोटे बच्चों को मजदूरी के लिए रख लेते हैं, वयस्क की तुलना में उन्हें कम मजदूरी देनी पड़ती है। छोटे दुकानदार ऐसे बच्चों को काम और भी रख लेते हैं जिससे इस बालश्रम को बढ़ावा मिलता है।
- **कानून का पालन ना होना**- दुनियाभर में बालमजदूरी के लिए कई सारे कानून बने हैं बाबजूद इसके हर जगह बच्चे दुकानों, स्टेशन, उद्योगों में काम करते दिखाई देते हैं। मतलब साफ है कि बालश्रम के खिलाफ बने कानूनों का सही से पालन नहीं हो रहा है।

बाल मजदूरी के दुष्परिणाम

- **शारीरिक शोषण**- बाल मजदूरों को उनके मालिक शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं। कई बार ऐसी प्रताड़नाओं से बच्चों की मौत भी हो जाती है।
- **कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याओं का जन्म** बाल मजदूरी के कारण बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं क्योंकि मजदूरी कर रहे बच्चे को शरीर के हिसाब से पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। इसके साथ ही तंबाकू, कांच या इस तरह के उद्योग में काम करने वाले बच्चों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है।
- **अशिक्षा का बढ़ना** बच्चों का भविष्य सीमित हो जाता है क्योंकि शुरू से मजदूरी करने के कारण बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वह शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

बाल श्रम को रोकने के उपाय

बाल श्रम एक सामाजिक समस्या है इसे हम सब मिलकर ही सुलझा सकते हैं इसके लिए विभिन्न उपाय कारगर हैं

- **शिक्षा व्यवस्था** शिक्षा का प्रचार ऐसा हो जिसमें गरीब बच्चे भी शिक्षा ले सकें, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो यह सामाजिक समस्या धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगी।
- **जागरूकता** - बाल श्रम कराने वाले दुकानदार और मालिकों की शिकायत करें, ऐसे लोगों से सामान न खरीदें, सामाजिक रूप से अभियान चला कर बाल श्रम के प्रति लोगों को जागरूक करके इस समस्या से निजात मिल सकती है।
- **गरीबी और बेरोजगारी को कम करके**- गरीबी के कारण ही बच्चे इस दलदल में कदम रखते हैं, यदि गरीबी की समस्या हल हो जाये तो बाल श्रम की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाएगी।
- **कानून द्वारा**- बाल मजदूरी के लिए बनाए गए कानूनों का कड़े ढंग से पालन कराने और बाल मजदूरी कराने वालों को कड़ी सजा देकर ऐसे अपराधों को कम किया जा सकता है।

निष्कर्ष

आज विश्व के सभी देशों के लिए बालश्रम एक गंभीर समस्या है। क्योंकि इस समस्या से पूरा देश अंदर से खोखला हो जाता है। अगर हमें एक विकसित भारत का निर्माण करना है तो इस गंभीर समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। इसलिए आज से ही बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज़ उठाएँ और मजदूरी कर रहे हर बच्चे की मदद करें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

SR NO.	पुस्तककानाम	लेखक	प्रकाशक	वर्ष
1	बाल श्रम और अपराध	विनायक त्रिपाठी	ओमेगाप्रकाशन, नयी दिल्ली	2020
2	बाल श्रमिक समस्या एवं समाधान	मुकेश कुमार दशोरा	हिमांशु प्रकाशन दिल्ली	2006
3	बाल श्रम	रोली शिवहरे, प्रशांत दुबे	विकास संवाद, भोपाल	2010
4	भारत में बाल श्रम	रवि प्रकाश यादव, राखी राँय	सूचक प्रकाशक, जयपुर	2011
5	बाल श्रम: एक सामाजिक-कानूनी परिप्रेक्ष्य	विजय कुमार दीवान	पेंटागन प्रेसनयी दिल्ली	2009